

Instructions/Checklist regarding Online Registration of various PMAY Schemes.

1. Please visit website www.upavp.in homepage link "Online Registration-PMAY Schemes"
कृपया परिषद वेबसाईट के मुखपृष्ठ के लिंक Online Registration-PMAY Schemes पर क्लिक करें ।
2. Read carefully the important details/guidelines under link E-brochure regarding registration, allotment, payment etc.
पंजीकरण संबंधी प्रक्रिया, आवंटन, भुगतान आदि महत्वपूर्ण विवरण 'ई-ब्रोशर' लिंक पर जाकर ध्यानपूर्वक पढ़ें ।
3. Aadhar no. (Self-attested Adhaar Card copy to be uploaded online)
आवेदक का आधार संख्या (स्व हस्ताक्षरित आधार प्रपत्र की प्रति अपलोड करने हेतु साथ रखें)।
4. Mobile no./ मोबाइल नम्बर
5. If you belong to Vertical Reservation Category please keep a copy of certificate of your Category (Schedule cast, Schedule tribe or Other Backward Class) – to be uploaded online.
यदि वर्टिकल आरक्षण श्रेणी में हैं तो अपनी आरक्षण श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) का प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु साथ रखें ।
6. Passport size photograph – to be uploaded online in JPEG format
आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करने हेतु साथ रखें ।
7. If you belong to Disabled Category (Horizontal Priority Category) please keep a copy of certificate to be uploaded online.
यदि आवेदक दिव्यांगजन श्रेणी (छैतिज आरक्षण श्रेणी) के अन्तर्गत हैं तो दिव्यांगजन श्रेणी का प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु साथ रखें ।
8. Income certificate – to be uploaded online.
आय प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु साथ रखें ।
9. Bank account Details (Bank account number and IFSC Code) for Refund to the unsuccessful applicants.
बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड) जिसमें असफल आवेदक को पंजीकरण राशि वापिस की जायेगी।
10. Aadhar Number of Spouse (If Married)
पति/पत्नी का आधार संख्या (यदि विवाहित है ।)
11. Aadhar Card, if not available Voter ID Card/Any other unique identification number of Father/Mother (Required in case of Unmarried Man/ Unmarried Woman/ Unmarried Transgender, Single / Divorcee Woman)
पिता/माता का आधार/मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान पत्र संख्या अपलोड करने हेतु साथ रखें ।
(अविवाहित पुरुष/अविवाहित महिला/अविवाहित उभयलिंगी एवं विधवा/एकल महिला के लिये अनिवार्य है,)
 - a. Aadhar
 - b. Voter ID
 - c. Pan Card
 - d. Passport
 - e. Driving License
 - f. Ration card
 - g. Other

Online Payment Mode:(Please tick to select the Online Payment Mode.):

1. NET banking
2. Debit Card
3. Credit card
4. UPI

Off-Line Payment Mode (ऑफ लाइन भुगतान प्रक्रिया):

Offline payment can be done through NEFT or Demand Draft. A copy of Challan will be generated on selection of offline mode. Please print a copy of the challan & produce this to the bank as mentioned below for payment.

ऑफ लाइन भुगतान नेफ्ट अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकता है। ऑफ लाइन भुगतान विकल्प चुनने पर एक चालान की प्रति सृजित होगी, जिसे प्रिंट कर लें। चालान की प्रति भुगतान हेतु निम्नानुसार बैंक में प्रस्तुत करें।

NEFT (नेफ्ट): -

Applicant need to visit his Bank (where he/she has his/her Account) for the fees payment through NEFT along with Challan. After successful payment, entry on UPAVP website www.upavp.in will reflect in 2 to 3 working days. Then online receipt can be printed from UPAVP website

चालान से भुगतान हेतु अपने बैंक (जिस बैंक में खाता है) में प्रस्तुत करें। आपके बैंक से उक्त धनराशि दो से तीन दिन में प्राप्त होगी, जिसके उपरांत www.upavp.in पर अपने आधार नं. से लॉगिन करने पर रसीद प्रिंट कर सकते हैं।

Demand Draft (डिमाण्ड ड्राफ्ट): -

Please get a demand draft of Rs. 5000/- in favor of "UP Housing and Development Board ". Then applicant need to visit any HDFC Bank Ltd. branch in Uttar Pradesh to deposit the Demand Draft along with Challan.

चालान द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट से भुगतान करने हेतु सचिव यूपी आवास और विकास परिषद अंकित बैंक खाते के पक्ष में पंजीकरण धनराशि ₹ 5000.00 का ड्राफ्ट बनवायें। इसे उत्तर प्रदेश के किसी भी एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा में चालान के साथ जमा किया जा सकता है। उक्त धनराशि दो से तीन दिन में प्राप्त होगी, जिसके उपरांत www.upavp.in पर अपने आधार नं. से लॉगिन करने पर भी रसीद प्रिंट कर सकते हैं।

After successful clearance entry on UPAVP website www.upavp.in will reflect in 2 to 3 working days. Then online receipt can be printed from UPAVP website.